कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश
भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नम्बर-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003
दूरभाष : 0755-2674206, 2524275, *E-mail: pccfwl@mp.gov.in*

क्रमांक/व.जी./प्रबंध/141/ 882 भोपाल, दिनांक :6/11/2024

//आदेश//

विषय :- मध्यप्रदेश में रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड का पुनर्गठन बावत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/एस-4/तक-2/167-V/111 दिनांक 02.03.2017.

--00—

वर्तमान में सदंर्भित आदेश से प्रदेश में 15 रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड कार्यरत है। वन्यजीव संरक्षण में सफलता तथा कारिडोर क्षेत्र में व्यवधान में वृद्वि के कारण वन्यजीवों के मानव बसाहट में आ जाने से मानव-वन्यजीव द्वंद्व की घटनाऐं समय-समय पर प्रदेश में प्रकाश में आती रहती है। प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों/वन वृत्त ईकाईयों में मानव-वन्यजीव द्वंद की स्थिति के प्रभावी नियंत्रण हेतु इन रेस्क्यू स्क्वाड इकाईयों द्वारा त्वरित कार्यवाही कर वन्यजीवों बाघ, तेंदुओं एवं अन्य वन्यजीवों का रेस्क्यू किया जाता है। प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से इन रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड इकाईयों का संदर्भित आदेश क्रमांक/एस-4/तक-2/167-V/111 दिनांक: 02.03.2017 को अधिक्रमित करते हुए पुर्नगठन किया जाता है तथा इनमें समन्वय स्थापित करने व इनके कार्यो का अनुश्रवण हेतु एक स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड का गठन किया जाता है। इन इकाईयों के भारसाधक अधिकारियों एवं कार्यक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड मुख्यालय, भोपाल			
क्र-	**इकाई का नाम**	**प्रभारी**	**कार्यक्षेत्र**
1	स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड मुख्यालय, भोपाल	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	संपूर्ण मध्यप्रदेश
रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड			
क्र	**इकाई का नाम**	**प्रभारी**	**कार्यक्षेत्र (जिला)**
1	कान्हा टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक	मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट (03)
2	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक	नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल (03)
3	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक	उमरिया, शहडोल, अनुपपुर (03)
4	पेंच टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक	सिवनी, छिंदवाड़ा, पार्दुना (03)
5	पन्ना टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक	पन्ना, सतना, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ (05)
6	संजय टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक	सीधी, सिंगरौली, रीवा मउगंज (04)
7	रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक	सागर, दमोह, नरसिंहपुर (03)
8	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	संचालक	भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ, रायसेन (05)
9	माधव राष्ट्रीय उद्यान	संचालक	शिवपुरी, अशोकनगर, गुना (03)
10	जबलपुर वन वृत्त	मुख्य वन संरक्षक	जबलपुर, कटनी, मैहर (03)
11	इंदौर वन वृत्त	मुख्य वन संरक्षक	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर (04)
12	ग्वालियर वन वृत्त	मुख्य वन संरक्षक	ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया (05)
13	खण्डवा वन वृत्त	मुख्य वन संरक्षक	खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन (04)
14	उज्जैन वन वृत्त	मुख्य वन संरक्षक	उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीचम, रतलाम, शाजापुर, आगर-मालवा (07)

अ) वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड के दायित्व –

1) स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड-

(i) प्रदेश के समस्त रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड के कार्यो का सतत् अनुश्रवण कर त्रैमासिक समीक्षा (संलग्न प्रारूप में) करना तथा समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

(ii) रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड के बीच समन्वय स्थापित करवाना तथा परिस्थिति अनुसार किसी अन्य रेस्क्यू स्क्वाड को दूसरे रेस्क्यू स्क्वाड से संसाधन उपलब्ध कराना।

(iii) समस्त रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित कर उनकी क्षमता उन्नयन की कार्यवाही करना।

(iv) रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड में मांग अनुसार आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

(v) रेस्क्यू किये गये वन्यजीव को परिस्थिति अनुसार रेस्क्यू सेंटर में भेजने अथवा वनक्षेत्र में छोड़ने संबंधी विधिसम्मत कार्यवाही करवाना।

2) रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड-

(i) आवंटित कार्यक्षेत्र में मानव-वन्यजीव द्वंद की परिस्थिति उत्पंनन न हो इस हेतु स्थानीय वनाधिकारियों, अन्य शासकीय विभागों एवं आमजनमानस में समन्वय स्थापित कर जागरूक करना।
(ii) मानव-वन्यजीव द्वंद की घटनाओं पर त्वरित एवं प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही संपादित करना।
(iii) मानव-वन्यजीव द्वंद की घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही हेतु स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु पालन विभाग, विद्युत विभाग आदि संबंधित शासकीय विभागों से समन्वय स्थापित कर समय-समय पर बैठक का आयोजन करना।
(iv) मानव-वन्यजीव द्वंद की घटनाओं के संबंध में स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड एवं वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराना व कार्यवाही उपरांत प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ सहित प्रस्तुत करना।
(v) रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड में समस्त आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बनाये रखना तथा समय-समय पर स्क्वाड के सदस्यों की क्षमता उन्नयन की कार्यवाही करना।

ब) वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड की संरचना –

1) स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड- इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा तथा इसकी संरचना निम्नानुसार होगी :-

(i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. भोपाल- प्रभारी
(ii) वन संरक्षक/उप वनसंरक्षक (वन्यजीव) मुख्यालय भोपाल -सदस्य
(iii) वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी/ वन्यजीव चिकित्सक भोपाल -सदस्य
(iv) सहायक वन संरक्षक (वन्यजीव) मुख्यालय भोपाल -सदस्य
(v) सीनियर फील्ड बायोलाजिस्ट (वन्यजीव) मुख्यालय भोपाल -सदस्य
(vi) अन्य अधिकारी जिसे मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक द्वारा नियुक्त किया गया हो।

2) रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड- प्रदेश में इनकी संख्या-14 होगी तथा इसकी संरचना निम्नानुसार होगी :-

(i) मुख्य वन संरक्ष/वन संरक्षक स्तर के अधिकारी – प्रभारी
(ii) कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले समस्त वनमण्डलाधिकारी – सदस्य
(iii) वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी/पशु चिकित्सक – सदस्य
(iv) शासकीय सेवक (वनरक्षक से वनक्षेत्रपाल स्तर- कुल संख्या 10) – सदस्य

इस टीम में वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी/पशु चिकित्सक अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे। जिन रीजनल स्क्वाड में विभागीय वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी/पशु चिकित्सक पदस्थ नहीं है, वहॉ पशु पालन व डेयरी विभाग से इच्छुक चिकित्सकों को प्रकरणवार मानदेय के आधार पर रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त कम से कम 10 शासकीय सेवक (वनरक्षक से वनक्षेत्रपाल स्तर) जो इच्छुक एवं युवा हो उनका चयन किया जायेगा। रेस्क्यू स्क्वाड के समस्त सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जावेगा। चयनित शासकीय सेवक रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड के सदस्य होंगे, परन्तु उनकी सेवा रेस्क्यू स्क्वाड के लिए पूर्णकालीक नहीं होगी। वन्यजीवों से संबंधित आपातकाल की सूचना मिलते ही प्रभारी अधिकारी, प्रशिक्षित रेस्क्यू स्क्वाड के सदस्यों में से उपलब्ध सदस्यों का एक दल तत्काल गठित करेंगे एवं इस दल में वरिष्ठतम अधिकारी को दल का प्रभारी नियुक्त कर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना करेंगे।

स) वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड हेतु आवश्यक संसाधन –

1) स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड- इनका मुख्य कार्य प्रदेश के विभिन्न रीजनल रेस्क्यू स्क्वाड को मार्गदशन प्रदान कर उनके कार्यो का सतत अनुश्रवरण करना है। इसमें पदस्थ सदस्यों के पास आवश्यक समस्त संसाधन जैसे- उच्च गुणवत्ता का वाहन, पृथक से कक्ष, ऑनलाईन डाटाबेस, लाईव मानीटिरिंग हेतु डिजीटल सेटअप, आदि सामग्री हो जिससे उक्त कार्यवाही प्रभावी रूप से संपादित की जा सकें।

3) रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड- इनका मुख्य कार्य मानव-वन्यजीव द्वंद की परस्थिति पर नियंत्रण कर रेस्क्यू की कार्यवाही संपादित करना है इस हेतु आवश्यक समस्त संसाधन (सूची संलग्न) होने चाहिए। इस हेतु बजट की मांग कैम्पा निधि, विभागीय मद (6349) एवं अन्य संबंधित मद से की जा सकती है। प्रत्येक रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड के पास उपकरण/सामग्री सदैव कार्यशील स्थिति में उपलब्ध रहनी चाहिए तथा प्रत्येक ऑपरेशन से पूर्व दल प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे की सूची में से कोई भी उपकरण एवं सामग्री कम न हो।

द) वाईल्डलाईफ रेस्क्यू ऑपरेशन एवं अनुवर्ती कार्यवाही–

प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों (परिक्षेत्र अधिकारी से मुख्य वन संरक्षक तक) को अपने-अपने कार्यक्षेत्र हेतु शासन द्वारा वन्यजीव अभिरक्षक घोषित किया हुआ है। कार्यक्षेत्र में मानव-वन्यजीव द्वंद की स्थिति से निपटने लिए प्रथम जिम्मेदारी संबंधित वन्यजीव अभिरक्षक व अधीनस्थ अमले की होगी। अत: सूचना मिलते ही सर्वप्रथम स्थानीय वन्यजीव अभिरक्षक एवं अधीनस्थ अमला मौके पर पहुचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि रेस्क्यू कार्य उनकी क्षमता से बाहर हो अथवा वन्यजीव को निश्चेत करने की आवश्यक हो तभी रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड को बुलाया जावे। वन्यजीवों का निश्चेतन करने की अनुमति केवल रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड को ही है।

रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड को हर प्रकार की मदद देने की जिम्मेदारी स्थानीय वनमण्डलाधिकारी की होगी, जिनके कार्यक्षेत्र में रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड को कार्य करने हेतु बुलाया गया हो। रेस्क्यू के उपरांत यदि वन्यजीव स्वस्थ है, तो शीघ्रातिशीघ्र वन क्षेत्र में किसी उपयुक्त रहवास स्थल में वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड को अवगत कराकर छोड़ा जायेगा। संपूर्ण कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराई जायेगी। यदि वन्यजीव घायल, अशक्त अथवा किसी कारण से वनक्षेत्र में तत्काल मुक्त करने योग्य नहीं हो तो उसे स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड की सहायता से निकटतम रेस्क्यू सेंटर अथवा उचित स्थल में उपचार हेतु भेजा जायेगा। यदि उपचार के पश्चात संबंधित वन्यजीव वन क्षेत्र में छोड़े जाने योग्य पाया जाता है तो पशु चिकित्सकों के परामर्श एवं उनकी देखरेख में स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड के सहयोग से उन्हें पुन: वन क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने के प्रयास किये जाये। प्रभारी अधिकारी रीजनल वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड प्रत्येक माह के अंत में रेस्क्यू दल के कार्यो एवं उपलब्ध उपकरणों, दवाईयों की उपलब्धता की समीक्षा (संलग्न प्रारूप में) करेंगे। प्रभारी अधिकारी स्टेट वाईल्डलाईफ रेस्क्यू स्क्वाड यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संकलित वार्षिक जानकारी प्रकाशन के रूप में वर्ष के अंत तक तैयार कर सर्व संबंधितों को भेजी जाये।

6/11/2024

(व्ही.एन. अम्बाड़े)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक : 06/11/2024

पृ.क्रमांक/प्रबंध/2024/
प्रतिलिपि: 5881

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल की सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, वन भवन, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिज़र्व, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त वनमंडलाधिकारी, सामान्य/ वन्यजीव वनमंडल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. समस्त संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, परियोजना मंडल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6/11/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल